न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या-571/2011/223 आर.टी.एक्ट (2011/00571)

1. रमेशचंद पुत्र रामदयाल
2. गिर्राज पुत्र रामदयाल
   दोनो जाति चमार निवासी ब्यावर, हाल निवासी मिस्त्री मौहल्ला, गुलाबबाड़ी अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. देवा वल्द दुला मृतक जरिये वारिसान-
1/1 भोमा
1/2 किशन
1/3 तेजा
पुत्रगण देवा
2-पीरू वल्द दूला
2/1 बीजा पुत्र पीरू (मृतक) जरिये वारिसान-
2/1/1 भंवरी बेवा बीजा
2/1/2 हाकम पुत्र बीजा
2/1/3 हैदर पुत्र बीजा
2/1/4 हमीद पुत्र बीजा
2/1/5 सिकन्दर पुत्र बीजा
2/1/6 फरीदा पुत्री बीजा
2/1/7 रेणु पुत्री बीजा
2/2 रेशमी पुत्री पीरू खां
2/3 मीरा पुत्री पीरू खां
3- बाबू वल्द दूला मृतक जरिये वारिसान-
3/1 समुन्दर पुत्र बाबू
3/2 समरथ पुत्र बाबू
3/3 शांति पुत्री बाबू
3/4 शीला पुत्री बाबू
4-मिट्ठू वल्द दूला (मृतक) जरिये वारिसान -
4/1 सायरी बेवा मिठू
4/2 भंवर पुत्र मिठू (मतृक) जरिये वारिसान -
4/2/1 साबिर पुत्र भंवर
4/2/2 इमामुद्दीन पुत्र भंवर
4/2/3 फिरोज पुत्र भंवर
4/2/4 रोशनी पुत्री भंवर
4/2/5 सलमा पुत्री भंवर
4/2/6 शबनम पुत्री भंवर
4/2/7 हाजरी बेवा भंवर
4/3 कमरूद्दीन पुत्र मिठू
4/4 अजीज पुत्र मिठू
4/5 समीदा पुत्री मिठू
4/6 संतोष पुत्री मिठू
4/7 लीला पुत्री मिठू

4/8 रजिया पुत्री मिठू
समस्त जाति मेहरात निवासी सिरोला तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर।
6. उप पंजीयक ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 8.12.2011, वाद संख्या 87/ 2011.

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री एन.के. जैन, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2
3. श्री ईश्वर देवड़ा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1/1 से 2/1/7, 2/2, 2/3, 3/1 से 3/4, 4/1 से 4/8.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06.
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/3, अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–23.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी,ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 87/2011 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 397 हाल खसरा नम्बर 427, 428, खसरा नम्बर398 हाल खसरा नम्बर 429, खसरा नम्बर430 वाके ग्राम फतेहपुरिया दोयम ब्यावर स्थित है एवं उक्त आराजीयात की खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त राजस्व वाद में वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2067 के आधार पर दर्ज खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है एवं प्रस्तुत राजस्व वाद में विचारण न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा एवं जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया एवं एक अन्य प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत् दिनांक 06.09.2011 को प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 01 दूला पुत्र निम्बा का देहान्त 1998 में होना वर्णित कर मृत व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्व वाद प्रस्तुत होने से खारिज योग्य है। दिनांक 30.11.2011 को उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना जाकर आदेश हेतु दिनांक 8.12.2011 नियत की गई। दिनांक 08.11.2011 को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 08.12.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3. अधीनरथ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/3 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटस के पूर्वजो की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात रही है जिस बावत् अपीलांटस अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की आराजीयात को अवैधानिक रूप से रेस्पोडेन्टस के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया है एवं उक्त इन्द्राज दुरूस्ती हेतु राजस्व वाद विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व दस्तावेजात के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसे मात्र तकनीकी आधारो पर निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 01 दूला वल्द निम्बा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 5 जो की प्रस्तुत राजस्व वाद में पक्षकार है, उक्त प्रतिवादी संख्या 01 को राजस्व वाद में पक्षकार बनाये जाने से किसी प्रकार से खारिज किये जाना न्यायोचित नही है एवं प्रतिवादी संख्या 01 देवा का नाम राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजीयात बावत् अंकित है एवं उक्त आधार पर प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु राजस्व वाद में पक्षकार बनाया गया है जिस पर वारिसान को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित था। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 2011 आर.वी.जे. पृष्ठ 594 के अनुसरण में तकनीकी आधारों पर किसी भी रूप से प्रस्तुत राजस्व वाद एवं अपील को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण जो की अनुसूचित जाति के काश्तकार व्यक्ति है एवं कानूनी पैचदगियों से अनभिज्ञ है के द्वारा राजस्व–वाद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे एक मात्र तकनीकी आधार पर अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा बिना उक्त त्रुटि को सुधारने का अवसर दिये निरस्त किये जाने से निहित क्षेत्राधिकार को दुरूपयोग किया है जो जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2011 निरस्त फरमाया जावें एवं प्रस्तुत राजस्व वाद का आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाये जाने बावत् आदेश पारित कर गुणावगुण पर सुनवाई कर निरतारण किये जाने बावत् प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2017 आर.वी.जे. पेत 321, आर.आर.टी. 2020(2)पेज 741, आर.वी.जे. (18) 2011 पेज 593, आर.वी. जे. (23)2016 पेज 199, 2009 डी.एन.जे.(सुप्रीम कोर्ट)पेज 923 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1/1 से 2/1/7, 2/2 से 4/8 ने दौराने जवाव वहस निवेदन किया कि अधीनरथ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 व 02 दावा दायरी के पूर्व ही क्रमशः करीबन सन् 1975 व1998 में मृत्यु हो चुकी है और उनका भी कब्जा व खातेदारी में नाम बनाया गया है और इस प्रकार से उपरोक्त दोनो मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध दावा पेश किया गया है जो कानूनन चलने योग्य नही है। स्व. दूला के दो पुत्री व स्व.देवा के तीन लड़किया भी मौजूद है जो वादग्रस्त भूमि पर काबिज है, उनको पक्षकार नही बनाया गया है, जबकि सम्मन पर आई रिपोर्ट के अनुसार स्व.दूला व स्व.देवा फौत हो चुके है उससे देवा व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दूला की मृत्यु होना दावा दायरी से पूर्व से ही प्रमाणित है। स्व. रामदयाल के अन्य वारिसान उसकी बैवा व दो पुत्रीयॉं मॉजुद है उनको भी पक्षकार नही बनाया गया है जबकि दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का है इसलिए उन्हे बिना पक्षकार बनाये कानूनन चलने योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने से विधि सम्मत खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आगमन व जमीदारी बिस्वेदारी अबलेशन एक्ट के आगमन के वक्त दूला का कब्जा काश्त होने के कारण से बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ सम्वत 2016 से 2019 की जमाबंदी में उनका नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ और तब से उनका नाम बतौर खातदेार लगातार उनके जीवनकाल तक चला आता रहा है और उनके मरने के बाद उनके वारिसान को खातेदार अधिकार हासिल हो गये और देवा के मरने के बाद देवा के स्थान उनके वारिसान क्रमशः भोमा, किशन व तेजा सह–खातेदार चले आ रहे है। अपीलांटस/वादीगण का वाद कारण के अभाव में कानूनन चलने योग्य नही है और उन्हे कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए वादीगण का वादी खारिज योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से विधि सम्मत खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2019(2) पेज 5 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. अभिभाषक उभय पक्षकारान के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा उनके समक्ष वाद–पत्र को दिनांक 08.12.2011 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 क्रमशः करीबन सन् 1975 व1998 में मृत्यु हो चुकी हैं। उक्त दावा प्रस्तुती से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की मृत्यु हो चुकी है, दावा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से खारिज किया गया। इस प्रकरण का महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि दावा दायर करने से पूर्व अगर कुछ पक्षकारान की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके विधिक उत्तराधिकारियो को रिकार्ड पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए अथवा नही। वर्तमान प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर पर जानकारी हो गयी कि कुछ प्रतिवादीगण की मृत्य दावा दायर करने से पूर्व चुकी है वर्तमान दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का है। यह दावा रास्तव रिकार्ड के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है इस बिन्दू पर भी कोई विवाद नही है कि दावा दायर करते समय जिन व्यक्तियों का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित था उन्हे पक्षकार बना लिया गया। दावा मृत्य व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया जाता है तो एक सद्भाविक त्रुटि है जिसे यथाशीघ्र संशोधित किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2016 पेज 625 में यह प्रतिपादित किया गया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत दावा प्रारम्भ से ही अवैध तथा शून्य है परन्तु इसी के पैरा नम्बर 13 में यह भी अंकित किया गया है कि अगर कोई त्रुटि सद्भाविक है तो दुरूस्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में ही गयी त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जा सकता है। तकनीकी आधार पर अनुतोष प्रदान करने से मना नहीं किया सकता है। अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि मृतको के वारिसान को पक्षकार संयोजित कर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतको के वारिसान को पक्षकार संयोजित कर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर